30-12-24

द्वारा संघ द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17-1-25 को पेश हों।

17-1-25 वकील वादी एवं वादी अनुपस्थित। वकील वादी एवं वादी द्वारा पुनर्स्थापन की तलबी नहीं कराई गई है। आज तारीख अवलम्बित है। वाद कोई कारण प्रकट नहीं किया गया है। पत्रावली अधस्थायी अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत है। पत्रावली दाखिल खारिज रहे।